एक नजर में

आर जे एन अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल में हुआ रक्तदान शिविर का आयोजन

ग्वालियर 23 दिसंबर . आर जे एन अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल ग्वालियर में को मानव सेवा के उद्देश्य से आज एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का सफल आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्देश्य जरूरतमंद मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराना एवं समाज में रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा। शिविर का शुभारंभ हॉस्पिटल के एडिशनल डायरेक्टर डॉ गिरीश अरोरा एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉ पार्थ देव भसीन,ग्रुप सीईओ मुकेश सभरवाल एवं रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रबंधक श्री नवल शुक्ला के द्वारा किया गया। इस अवसर पर हॉस्पिटल स्टाफ एवं मैनेजमेंट टीम भी उपस्थित रहे ।सभी ने रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि रक्तदान एक महान पुण्य कार्य है, जिससे कई जिंदगियों को बचाया जा सकता है। शिविर में कुल 30 से अधिक रक्तदाताओं ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। रक्त संग्रहण की प्रक्रिया प्रशिक्षित चिकित्सकों एवं मेडिकल स्टाफ की देखरेख में पूरी सावधानी एवं स्वच्छता के साथ संपन्न हुई। रक्तदान के पश्चात सभी रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र एवं अल्पाहार प्रदान किया गया। कार्यक्रम के आयोजकों ने सभी रक्तदाताओं, चिकित्सकों, स्वयंसेवकों एवं सहयोगी संस्थाओं का आभार व्यक्त किया और भविष्य में भी ऐसे जनहितकारी कार्यक्रम आयोजित करने की प्रतिबद्धता दोहराई।

रेत ट्रैक्टर रोकने पर जानलेवा फायर करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार

ग्वालियर, 23 दिसंबर। हरेन्द्र राणा निवासी भगेह, थाना गिजोर्रा ने जेएएच अस्पताल ग्वालियर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका भाई छोटा राणा रेत कम्पनी की फ्लाइंग स्कॉट में नौकरी करता है। घटना वाले दिन बिना रॉयल्टी के जा रहे ट्रैक्टर को रोकने पर यजये व उसके साथी संजय यादव ने छोटे राणा के साथ मारपीट की तथा ट्रैक्टर को जबरन छुड़ाकर कालेन्दी की तरफ ले गए। कुछ समय बाद जब फरियादी मौके से गुजर रहा था, तब यजये, कल्लू यादव, बल्ली यादव, करन यादव, राजकुमार व संजय यादव हथियारों सहित रास्ता रोककर गाली-गलौज करने लगे तथा ट्रैक्टर रोकने पर धमकाने लगे। इसी दौरान यजये ने देशी पिस्टल से फायर कर फरियादी के दाहिने पैर में गोली मार दी। बीच-बचाव करने आए मनजीत पर भी फायर किया गया तथा फरसा व बंदूक की बट से वार कर गंभीर चोट पहुँचाई गई। दोनों को मृत समझकर आरोपीगण मौके से फरार हो गए। दौराने विवेचना पुलिस टीम ने आरोपियों की तलाश उनके छिपने के संभावित जगहों पर की गई तो उक्त प्रकरण में वांछित तीन आरोपियों को पकड़ लिया गया। पकड़े गये आरोपियों ने पूछताछ में पहले ने अपना नाम कल्लू यादव उर्फ दाताराम पुत्र आदिराम यादव निवासी प्रेमपुरा दूसरे ने राजकुमार उर्फ छोटू यादव पुत्र रामस्वरूप यादव उम्र 28 साल निवासी प्रेमपुरा तथा तीसरे ने करन यादव पुत्र भूरे सिंह उम्र 23 साल निवासी सलैया बताया। पकड़े गये आरोपियों से उक्त प्रकरण के संबंध में गहनता से पूछताछ करने पर उनके द्वारा अन्य साथियों के साथ मिलकर घटना करना स्वीकार कर लिया हैं ।थाना पिछोर पुलिस ने आरोपियों से उनके अन्य साथियों व अन्य हथियारों के संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही है।

पाप को जला देता है निष्काम कर्म : वल्लभाचार्य

ग्वालियर, 23 दिसंबर। जीव यदि तन्मय होकर लक्ष्मीनारायण भगवान की साधना करता है तो उसे सभी भौतिक सुखों व साधनों की प्राप्ति होती है । यह उदगार शिवशक्ति मंडल द्वारा श्री मदन मोहन मंदिर मुरार में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा के विश्राम दिवस बुधवार को जगत्गुरू वल्लभाचार्य महाराज ने व्यक्त किए। उन्होंने सुदामा चरित्र की व्याख्या करते हुए कहा कि सुदामा अर्थात सुन्दर रस्सी में बंधा हुआ। माता-पिता, भाई, पत्नी पुत्र आदि दस रस्सियों में जीवरूपी सुदामा बंधा हैं। उन्होंने कहा कि भगवान ने मनुष्य को तीन चीजें दी हैं तन,मन,धन ,लेकिन जो भगवान को नहीं देता वह दरिद्र होता हैं। दरिद्र होकर वह पाप करता हैं और पाप के प्रभाव से नरक में जाता हैं फि र और पाप करता हैं और दरिद्र होता हैं। इस मौके पर इस मौके पर मंडल के अध्यक्ष प्रदीप कुमार गांगिल मुख्य यजमान रजनी राकेश कुमार गुप्ता पूर्व पार्षद महेश गुप्ता,अशोक कुमार, मथुरा प्रसाद जगदीश, राजेश गुप्ता महेश कोचिल् रगुराज तोमर विनोद रामप्रकाश सुधीर राजकुमार, महेश, अनिल दीपक पवन, पवन बंदील रणवीर कमल आत्माराम अरविंद शर्मा, गिरजा शंकर भटेले अंजलि संगीता अनीता ममता मिथलेश, मूलचंद, विदेश दाताराम सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे।

बांग्लादेश एक बार फिर बेलगाम

नई दिल्ली, 23 दिसंबर. विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) और बजरंग दल ने बांग्लादेश में हिन्दू युवक की पीट-पीटकर हुई हत्या के विरोध में मंगलवार को बंगलादेश उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन किया. वहीं देश भर के कई राज्यों में बांग्लादेश में हो रहे हिन्दुओं पर हो रहे अत्त्याचार खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है. कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु और दिल्ली समेत कई बड़े शहरों में मोहम्मद यूनुस के खिलाफ बंगलादेश देश के साथ अब भारत के लोगों में भी आक्रोश उबलने लगा है. मंगलवार के दिन विरोध प्रदर्शनों हो रहे हैं. जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ने जम्मू में प्रदर्शन कर बांग्लादेश में एक हिंदू व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या की घटना की कड़ी निंदा की. वकीलों ने इसे मानवाधिकारों पर गंभीर हमला बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की मांग की. उन्होंने अपील की कि या तो बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए या उन्हें सुरक्षित रूप से भारत लाया जाए.

षड्यंत्र कर खुद पर गोली चलाने का पर्दाफाश

नवभारत न्यूज

ग्वालियर, 23 दिसंबर। रिश्तेदारों को फँसाने के लिए खुद को गोली मारकर पुलिस को गुमराह कर रहे फरियादी व एक अन्य आरोपी को डबरा पुलिस ने

ग्वालियर जैसी डबरा की घटना, पुलिस की सूझबूझ से सच आया सामने

गिरफ्तार कर एक 315 बोर का कट्टा व जिंदा राउण्ड जप्त कर लिया है।

फरियादी धर्मेन्द्र रावत निवासी जिला शिवपुरी ने घायल अवस्था में जेएएच हॉस्पीटल में उपचार के दौरान बताया कि उसकी शादी करीबन 6 माह पहले पूजा(परिवर्तित नाम) से कोर्ट मैरिज हुई थी तभी से मेरी अपने सालों से लडाई रहती है। 11 नवंबर को रिश्तेदार विकास रावत का फोन आया और बोला कि वह डबरा कटारिया चौराहा पर है और उसको बर्थडे में भितरवार जाना है। मैं किसोली से मोटरसाइकिल स्पलेण्डर से विकास रावत को लेकर डबरा से ग्राम किसोली के लिये निकले जैसे ही लिधौरा की पुलिया पर पहुंचे। एक स्पलेण्डर मोटरसाइकिल पर चार लडकों ने मेरी मोटरसाइकिल को हाथ देकर रोका मैने देखा कि उस मोटरसाइकिल पर मेरा खास साला गोलू रावत व ताऊ चाचा के लडके वीके रावत, विनय रावत, एक अज्ञात लडका था जो मुझे पुरानी रंजिश पर से गंदी-गंदी गाली देने लगे। मैने उनसे गाली देने से मना किया तो गोलू रावत ने हाथ में लिया कट्टा जान से मारने की नीयत से मेरी छाती पर लगा दिया। मैने अपने हाथ से उसके हाथ को हटाया तो उसने फायर कर दिया जो गोली मेरे पेट के दायीं तरफ लगी और मैं बेहोश होकर वहीं गिर पडा। उसके बाद वो लोग वहां से भाग गये। प्रथम दृष्टया पर फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना डबरा देहात में आरोपियों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। थाना डबरा पुलिस ने आरोपीगण वीकेन्द्र रावत, गोलू उर्फ भूपेन्द्र रावत एवं विनय रावत निवासीगण ग्राम निकोडी की तलाश की तो उक्त आरोपीगण अपने घर पर उपस्थित मिले। जिनसे घटना के बारे में गहनता से पूछताछ की गयी तो उन्होने घटना में शामिल न होना बताया। पुलिस टीम द्वारा तकनीकी सहायता के आधार पर उक्त प्रकरण की जाँच की तो आरोपीगणों के घटना में शामिल न होने की पुष्टि हुई। जिसके संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अवगत कराया गया। विवेचना में पुलिस टीम ने फरियादी धर्मेन्द्र रावत के बारे में जानकारी प्राप्त की तो ज्ञात हुआ कि फरियादी धर्मेन्द्र रावत एक पूजा(परिवर्तित नाम) से फोन पर बात करता था। एक दिन पूजा अपने घर से कहीं चली गयी थी तो लड़की के परिवार वालों को लगा कि धर्मेन्द्र भगाकर ले गया है। पूजा(परिवर्तित नाम) के परिवार वालो ने धर्मेन्द्र रावत पर दबाब बनाकर उसकी शादी पूजा से करा दी थी जबकि धर्मेन्द्र रावत उससे शादी नही करना चाहता था क्योंकि वह फोन पर और भी लडकों से बात करती थी। शादी के बाद से ही धर्मेन्द्र मानसिक तनाव में रहता था। 11 नवंबर को विकास रावत डबरा आया जिसने धर्मेन्द्र रावत को फोन करके बुलाया तब धर्मेन्द्र रावत आया उस दिन मंडी में जाम लगा था रोड सुनसान था तो धर्मेन्द्र ने विकास से कहा कि यह अच्छा मौका है मैं खुद के पेट में गोली मार लेता हूँ और मैं जैसा बोलू तुम वैसा करना फिर धर्मेन्द्र ने विकास रावत से अपने पेट की खाल पकड़ने को कहा जब विकास ने धर्मेन्द्र रावत के पेट की खाल पकड ली तो धर्मेन्द्र ने अपने बाये हाथ से पेट में दाहिने तरफ 315 बोर के कट्टे से गोली मार ली। फरियादी धर्मेन्द्र रावत ने अपने साथी विकास रावत के साथ मिलकर अपने रिश्तेदारों को हत्या के प्रयास में फंसाने के लिए आपराधिक षंडयंत्र रचकर मिथ्या साक्ष्य गणकर खुद को गोली मार ली थी।

आईटीएम में 'एआई अवेयरनेस एंड प्रोडक्टिविटी' विषय पर फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम आयोजित

नवभारत न्यूज

ग्वालियर, 23 दिसंबर। आईटीएम यूनिवर्सिटी ग्वालियर में ट्रेनिंग सेल द्वारा तीन दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया गया। एफडीपी का विषय 'एआई अवेयरनेस एंड प्रोडक्टिविटी' था। जहां नोएडा से आए एआई एक्सपर्ट कुनाल महाजन विशेषज्ञ के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर आईटीएम यूनिवर्सिटी ग्वालियर के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश उपाध्याय, कैपेसिटी एंड लीडरशिप डेवलपमेंट की डायरेक्टर डॉ. वाणी अग्रवाल, श्वेता तिवारी सहित विभिन्न विभागों के अध्यक्ष, एचओडी, डीन प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और शिक्षकगण शामिल हुए।

आईटीएम यूनिवर्सिटी ग्वालियर में ट्रेनिंग सेल द्वारा आयोजित तीन दिवसीय एफडीपी में नोएडा से आए एआई एक्सपर्ट कुनाल महाजन ने संकाय सदस्यों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधुनिक अनुप्रयोगों से रूबरू कराया। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षा और अनुसंधान का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। उन्होंने संकाय सदस्यों को यह समझाया कि किस प्रकार एआई का सही उपयोग कर कक्षा शिक्षण को रोचक, इंटरएक्टिव और परिणामोन्मुखी बनाया जा सकता है। कार्यक्रम में प्रॉम्प्ट एनरिचमेंट की तकनीकों पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया, जिससे एआई टूल्स से सटीक और गुणवत्तापूर्ण आउटपुट प्राप्त किया जा सके। उन्होंने एफडीपी में स्मार्ट रिसर्च टूल्स, एआई एजेंट्स, नॉवेल्टी एनालिसिस तथा इंटेलिजेंट लिटरेचर रिव्यू जैसे महत्वपूर्ण विषयों को विस्तार से समझाया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार एआई की सहायता से शोध विषयों की नवीनता जांची जा सकती है, साहित्य समीक्षा को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है तथा अनुसंधान कार्यों में समय की बचत की जा सकती है। वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश उपाध्याय ने पैटर्न रिकग्निशन के माध्यम से आर्टिफि शियल इंटेलिजेंस की कार्यप्रणाली को अत्यंत सरल और सहज शब्दों में समझाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि एआई मूलत: डेटा में छिपे पैटर्न को पहचानकर कार्य करता है और इसी आधार पर सटीक परिणाम प्रदान करता है। एफडीपी के दौरान कैपेसिटी एंड लीडरशिप डेवलपमेंट की डायरेक्टर डॉ. वाणी अग्रवाल ने कहा कि इस एफडीपी का उद्देश्य शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना और शोध कार्यों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए उन्नत एआई टूल्स का व्यावहारिक एवं हैंड्स ऑन प्रशिक्षण प्रदान करना था।

सुसेरा कोठी के पीछे अवैध देशी शराब बेचते एक धरा

ग्वालियर। सुसेरा कोठी की बाउंड्री की आड़ लेकर अवैध शराब बेच रहे एक बदमाश को पुलिस ने पकड़ लिया। आरोपी के पास से देशी शराब के 18 क्वार्टर जब्त किए गए। पुरानी छावनी पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी को जेल भेज दिया। पुरानी छावनी पुलिस को सोमवार शाम सूचना मिली कि सुसेरा कोठी की बाउंड्री के पीछे से चोरी-छिपे शराब बेची जा रही है। सूचना की तस्दीक और अवैध शराब बेचने वाले को पकड़ने के लिए एक टीम मौके पर भेजी। पुलिस ने बाउंड्री के पीछे से सतीश जाटव पुत्र विजय जाटव निवासी सुसेरा कोठी पुरानी छावनी को गिरफ्तार कर लिया।

आम सूचना

श्री संतोष कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पति म्युनिसिपल भवन क्र.1665, स्थित ग्राम मुरार, घोसीपुरा केन्टोमेंट एरिया, नगर मुरार, तहसील व जिला ग्वालियर (म.प्र.) है जो नगर निगम ग्वालियर वार्ड क्र.07 में स्थित है जो भूमि सर्वे क्र.3975/2/1 एवं 3984/2/1/1 ग्राम मुरार का भाग है एवं जिसका क्षेत्रफल 1269 वर्गफुट है और चर्तुसीमा निम्न प्रकार है:-पूर्व में-भवन लाल सिंह एवं अन्य, पश्चिम में-भवन श्रीमती गिरजा देवी, उत्तर में-रास्ता कॉलोनी एवं दक्षिण में-भवन श्री विजय राम है। उक्त सम्पति पूर्व में श्री लालाराम बाथम पुत्र श्री गणेशा बाथम, श्रीमती लल्लोबाई पत्नी श्री लालाराम बाथम, श्री कपिल एवं श्री आशाराम पुत्रगण श्री लालाराम बाथम द्वारा उक्त सम्पति श्री रामेश्वरदयाल शर्मा पुत्र श्री सुबेलाल मुदगल को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र.2394 दिनांक 23.12.2005 से विक्रय की गई। श्री रामेश्वरदयाल शर्मा द्वारा अपने भाग की सम्पति के संबंध में श्रीमती प्रभा मुदगल पत्नी श्री विजय कुमार मुदगल के हित में रजिस्टर्ड वसीयतनामा विलेख क्र.214 दिनांक 08.09.2006 को सम्पादित किया गया। श्री रामेश्वरदयाल शर्मा का स्वर्गवास हो जाने के उपरांत, वसीयतनामा विलेख दिनांक 08.09.2006 के अनुसार, श्रीमती प्रभा मुदगल पत्नी श्री विजय कुमार मुदगल उनकी सम्पति कर मालिक हुई। श्रीमती प्रभा मुदगल द्वारा उक्त सम्पति श्री संतोष कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा को ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र.एमपी21आईजीआर17412025ए10105613 दिनांक 20.11.2025 से विक्रय की गई। श्री संतोष कुमार शर्मा उक्त सम्पति को विक्रय किये जाने हेतु श्रीमती लाली पत्नी श्री रामप्रकाश बघेल के पक्ष में एक लिखतम विक्रय अनुबन्ध पत्र सम्पादित किया जा चुका है एवं रजिस्टर्ड विक्रय विलेख सम्पादित किया जाना शेष है। श्रीमती लाली द्वारा उक्त सम्पति को क्रय किये जाने हेतु मेरे पक्षकार वित्तीय संस्थान सेन्ट बैंक होम फायनेंस लिमिटेड ग्वालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय को उक्त सम्पति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पति के स्वत्व स्वामित्व, एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपति होने पर एवं अन्य प्रकार के हित-निहित होने पर अथवा दिनांक 05.05.2014 से पूर्व का कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज होने पर दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपति प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृपया सूचित हो।

प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट
कार्या.-भवन क्र.52, कैलाश विहार, फैडरल बैंक के पास सिटी सेन्टर, ग्वालियर
(म.प्र.), मो.नं.98276-72710

आम सूचना

श्रीमती नेहा सोनी पत्नी श्री धर्मेन्द्र सोनी के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पति भवन क्र.493, स्थित तिवारी रोड, ग्राम डबरा, तहसील डबरा व जिला ग्वालियर (म.प्र.) है जो नगर पालिका परिषद डबरा वार्ड क्र.24 में स्थित है एवं जिसका क्षेत्रफल 450 वर्गफुट है और चर्तुसीमा निम्न प्रकार है:- पूर्व में-सम्पति श्री कुल्लू जैन, पश्चिम में-गली 8 फुट चौड़ी, उत्तर में-सम्पति गुप्ता जी एवं दक्षिण में-सम्पति मंगताना है। उक्त सम्पति पूर्व में श्रीमती मथुरा देवी पत्नी श्री नाथूराम अग्रवाल द्वारा श्री सतेन्द्र दुबे पुत्र श्री शांतिशरण दुबे एवं श्री अमित शर्मा पत्नी श्री महेन्द्र शर्मा को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र.305 दिनांक 05.05.2014 से विक्रय की गई। श्री सतेन्द्र दुबे एवं श्री अमित शर्मा द्वारा उक्त सम्पति श्रीमती नेहा सोनी पत्नी श्री धर्मेन्द्र सोनी को ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र.एमपी14258202ए1138842 दिनांक 09.02.2021 से विक्रय की गई। उक्त सम्पति से सम्बन्धित वर्ष 2014 के पूर्व कोई भी रजिस्टर्ड दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। श्रीमती नेहा सोनी द्वारा उक्त सम्पति को मेरे पक्षकार वित्तीय संस्थान चोलामण्डलम इन्वेस्टमेन्ट एण्ड फायनेंस कं. लि. ग्वालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय को उक्त सम्पति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पति के स्वत्व स्वामित्व, एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपति होने पर एवं अन्य प्रकार के हित-निहित होने पर अथवा दिनांक 05.05.2014 से पूर्व का कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज होने पर दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपति प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृपया सूचित हो।

प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट
कार्या.-भवन क्र.52, कैलाश विहार, फैडरल बैंक के पास सिटी सेन्टर, ग्वालियर
(म.प्र.), मो.नं.98276-72710

नाम परिवर्तन सूचना

मैं ब्रिजेश कुमार (BRIJESH KUMAR) पुत्र श्री रामनारायण निवासी 88 ग्राम आलोरी, आरोली गोहद भिड म.प्र.- 477116 सर्व साधारण को सूचित करता हूँ कि- (1) यह कि मेरी पुत्री का सही नाम **आरुषी शमी (ARUSHI SHARMA) पुत्री ब्रिजेश कुमार (BRIJESH KUMAR)** है। और उसका सही नाम उसकी स्कूल की अंकसूचि तथा उसके जन्म प्रमाण-पत्र पर भी लिखा हुआ है। (2) यह कि मेरी पुत्री के आधार नं 8338 6114 9512 पर त्रुटी के कारण उसका पुकारने का नाम **गौरी (GAUREE)** पुत्री **बृजेश (BRAJESH)** लिखा हुआ जो कि गलत है। यह कि **गौरी (GAUREE)** पुत्री **बृजेश (BRAJESH)** तथा **आरुषी शर्मा (ARUSHI SHARMA)** पुत्री **ब्रिजेश कुमार (BRIJES KUMAR)** दोनों की नाम एक ही व्यक्ती मेरी पुत्री के पुकारने के व दस्तावेजों के नाम है। यह कि प्रकाशन के उपरान्त, समस्त शासकीय / अशासकीय दस्तावेजों में मेरी पुत्री का सही नाम **आरुषी शर्मा ARUSHI SHARMA** पुत्री **ब्रिजेश कुमार (BRIJESH KUMAR)** लिखा-पढ़ा जाना पहचाना व दर्ज किया जावे।
दिनांक-23/12/25

प्रेषक
ब्रिजेश कुमार (BRIJESH KUMAR) पुत्र श्री रामनारायण निवासी 88 ग्राम आलोरी, आरोली गोहद भिड म.प्र.- 477116

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षेत्र क्रं 19, वार्ड क्रं 50,भवन क्रं 914 स्थान जामदार खाना चितेरा ओली ग्वा0 मे स्थित है जो कि उषा रानी/जयरामदास के नाम से नगर निगम मे आई डी क्र 1000312778 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 385 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र/उत्तराधिकार/ उत्तराधिकार द्वारा प्राप्त किया गया है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति संपत्तिकर एंव अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र महाराज बाडा औषधालय, क्षे.क्र 19, पर दिनांक 22.12.2025 को किया गया है। जिसका आवेदन कार्य क्रं PT34666 प्र. क्र.... 3/11 है। उक्त के संबध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर मे स्थित संपत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 205,202 मे प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नही होगी एंव उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक-
जयराम दास वलेचा/ जगतराम, हरीश वलेचा,मनीष वलेचा/ जयरामदास वलेचा
पता-जामदार खाना चितेरा ओली ग्वा0
मो0-9893021436
विज्ञप्ति जारी दिनांक- 23.12.2025

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षेत्र क्रं 18, वार्ड क्रं 49, स्थान हारकोटा सीर ग्वा0 मे स्थित है जो कि पप्पू खान/हसन खान के नाम से नगर निगम मे आई डी क्र 1000175010 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 400 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रं R-01122501739592 दिनांक 03.12.2025 द्वारा प्राप्त किया गया है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति संपत्तिकर एंव अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र गोरखी पानी की टंकी, क्षे.क्र 18, पर दिनांक 10.12.2025 को किया गया है। जिसका आवेदन कार्य क्रं 83/2010/18369/40669 प्र. क्र.... 3/11 है। उक्त के संबध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर मे स्थित संपत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 205,202 मे प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नही होगी एंव उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक-
नाजमा बेगम/मोहम्मद शमशाद खान
पता-हारकोटा सीर ग्वा0
मो0-9926210428
विज्ञप्ति जारी दिनांक- 23.12.2025

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षेत्र क्रं 02, वार्ड क्रं 06, स्थान 1648, बण्डाधूरा ग्वा0 मे स्थित है जो कि माननीय न्यायालय द्वारा अधिकृत मनोज कुमार/जगदीश प्रसाद के नाम से नगर निगम मे आई डी क्र 1000090745 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 470 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रं R-06112501612386 दिनांक 10.11.2025 द्वारा प्राप्त किया गया है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति संपत्तिकर एंव अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र नौमहला, क्षे.क्र 02, पर दिनांक 23.12.2025 को किया गया है। जिसका आवेदन कार्य क्रं 61/2010/57749/57959 प्र. क्र.... 3/11 है। उक्त के संबध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर मे स्थित संपत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 205,202 मे प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नही होगी एंव उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक-
दामोदर प्रजापति/ग्यासी प्रजापति
पता-बण्डाधूरा ग्वा0
मो0-9926210428
विज्ञप्ति जारी दिनांक- 23.12.2025

आम सूचना

आवेदिका श्रीमती शशि देवी पत्नी हरी सिंह, निवासी - ग्राम जौरा, परगना एवं जिला मुरैना (म.प्र.) के निर्देशानुसार आम व खास को सूचित किया जाता है कि, आवेदिका के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य का अचल संपत्ति का एक भवन, क्षेत्रफल 1890 वर्गफीट, वार्ड नं. 18, प.ह.न. 55, सर्वे क्रमांक 233/1 ग्राम जौरा, परगना एवं जिला मुरैना (म.प्र.) में स्थित होकर जिसकी चर्तुसीमा निम्न प्रकार है: पूर्व में - रोड, पश्चिम में - भवन शाक्य, उत्तर में - प्लॉट नंट एवं दक्षिण में - भवन जाटव है, जो आवेदिका ने बिक्रयपत्र पंजी. दस्ता. क्रमांक एमपी27आईजीआर17892025ए100749068 व पंजीयन दिनांक 22.08.2025 के द्वारा रनवीर गौर, सहदेव गौर एवं ब्रजेश गौर से क्रय की जिन्होने यह संपत्ति पूर्व स्वामीगण श्री रामरतन एवं दर्शनलाल से जर्ये रजिस्टर्ड बिक्रयपत्र पंजीयन दस्तावेज दिनांक 14.09.2016 के माध्यम से क्रय की। इस संपत्ति का पंजीयन दिनांक 14.09.2016 से पूर्व का मूल बिक्रयपत्र जो श्री रामरतन एवं दर्शनलाल के हित में पंजीयन दस्तावेज क्रमांक 2359 व पंजीयन दिनांक 07.11.2012 के माध्यम से संपादित हुआ था, वह आवेदिकानुसार कही गुम हो चुका है जिसका उसके द्वारा और उसके ज्ञान में किसी अन्य के द्वारा कोई दुरुपयोग नहीं किया गया है। चूंकि आवेदिका उक्त संपत्ति पर मेरे पक्षकार के यहा ऋण लेने जा रही है तथा उसका ऋण आवेदन मेरे पक्षकार वित्तीय संस्था के यहां ऋण हेतु विचाराधीन है। ऐसी परिस्थिति में किसी व्यक्ति, बैंक संस्था निकाय आदि को उक्त गुम बिक्रयपत्र के आधार पर अन्यथा भी किसी आधार पर उक्त संपत्ति या उसके भाग को बंधक किया जाने में कैसी भी आपत्ति किसी भी माध्यम से अधिकार होने का दावा रखता या करता हो तो वह मेरे नीचे लिखे नाम व पते पर मय दस्तावेजी प्रमाण के लिखित रुप में नोटिस प्रकाशन से 7 दिवस के अंदर प्रस्तुत करें अन्यथा समयोपरांत उक्त संपत्ति बंधक कर ली जावेगी। तदोपरांत कोई भी आपत्ति कतई स्वीकार योग्य न होकर निरर्थक, त्याग दी गई समझी जाकर शून्य होगी तथा मेरे पक्षकार ऋणप्रदाता पर कतई बंधनकारी नहीं होगी तदनुसार सूचित हो। इतिदिनांक 23.12.2025

प्रेषक- **गजेन्द्र कुमार भार्गव (एडवोकेट)**
कार्या./नि.- हैदरगंज, मामा का बाजार, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.)
कार्या. समय : 7:00 से 9:00 (सुबह एवं शाम)
मो. 9301122311

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती रीना पत्नी श्री संजय, निवासी ग्राम छोटे सिंह का पुरा, बागचीनी जिला मुरैना (म.प्र.) के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य के एक भवन निर्मित प्लॉट क्रमांक 50, जिसका क्षेत्रफल 750 वर्गफिट होकर जो सर्वे क्रमांक 674/1 का भाग, ग्राम सैंथरी, न. नि. वार्ड 62, तहसील एवं जिला ग्वालियर (म.प्र.) में स्थित होकर जिसके पूर्व में संपत्ति दीगर, पश्चिम में 20 फीट रोड, उत्तर में शेष भाग प्लॉट क्रमांक 50 व दक्षिण में प्लॉट क्रमांक 51 है, जिस पर आवेदिका ने मेरे पक्षकार वित्तीय संस्था के यहां ऋण हेतु आवेदन किया है जिस पर ऋण दिया जाना प्रस्तावित है। उक्त संपत्ति आवेदिका ने पूर्व स्वामी रामेन्द्र सिंह उर्फ राघवेन्द्र सिंह पुत्र श्री राम